

श्री. शारदा प्रसन्न, Kuber
Ashiyang Private
Limited

अनुसूची 28 - पत्र सं. 8131

प्रमाणक सं. 277 संपत्ति - अवभार - प्रमाण - पत्र 02/05/2025
आवेदन सं. 20

चूंकि श्री. (For - Rajesh Kumar & others) ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमनियों में ता. 01-01-2009 से ता. 08/05/2025 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला :-


क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन (ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य		पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निदेश		
		निष्पादन की तारीख	प्रकार और मूल्य	निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Shausagarhi							
	Thanano - 582 T.P.No - 57 (Part) & T.P.No 58 Part 5 amabandino - 41/1 & 41/1 (Part) Area of land - 19.76 Decimal							

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
- (ख) 1 बंधक-पत्र की दशा में, व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बश कि इनके बारे में उल्लेख हो।
- 2 पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और लगान दर्ज करें।

(2)

यै वह भी प्रमाणित करता है कि संव्यवहारों और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले, किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-



(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- लिपिक

तलाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की


(हस्ताक्षर) :- A.K. Chaudhary

(पदनाम) :- लेफ्टि

कार्यालय 
तारीख 



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर


08/05/25

टिप्पणी (१)-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी इन्हीं संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजेक्शंस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(२) निबंधन अधिनियम की धारा १७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि इसके द्वार दूढ़े गये गये संव्यवहारों और अवधारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों को छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।